भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 930
13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

फ्लेक्सी ईंधन वाले इंजन चालित वाहनों का उत्पादन

930. श्री शंकर लालवानी:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में फ्लेक्सी ईंधन वाले इंजन चालित वाहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है;

(ख) वर्तमान में फ्लेक्सी ईंधन वाले इंजन चालित वाहनों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या ऐसे वाहनों का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को कुल 25,938/- करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची में फ्लेक्स ईंधन इंजन और इसके घटक शामिल हैं।

फ्लेक्सी ईंधन चालित वाहनों के संबंध में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल्स मैनुफैक्चरर्स (सियाम) ने सूचित किया है कि दुपहिया मूल उपकरण विनिर्माता 2024 के मध्य तक प्रति विनिर्माता एक मॉडल का थोक उत्पादन करना प्रारंभ करेंगे तथा चौपहिया मूल उपकरण विनिर्माता 2025 तक एक मॉडल पेश करेंगे।

(ख): वर्तमान में, भारतीय ऑटो उद्योग बीएस VI मानदंडों को पूरा करने वाले फ्लेक्सी ईंधन चालित वाहनों (एफ़एफ़वी) को विकसित कर रहा है।

(ग): चूंकि भारत में लागू उत्सर्जन मानदंड बीएस VI है, जो अन्य देशों में बेचे जा रहे फ्लेक्सी ईंधन चालित वाहनों की तुलना में उच्चतर है, इसलिए ऐसे वाहनों का आयात केवल अनुसंधान और विकास के उद्देश्य तक सीमित है।

*****